

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल हाईघ फाटक के पास, जयपुर 302006

क्रमांक :- एफ 1(7)(11)डीपीसी/सान्याअवि/2022/15559

जयपुर, दिनांक :- 23.08.2022

-: कार्यालय आदेश :-

शीघ्रलिपिक से निजी सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 22.08.2022 को आयोजित की गई।

पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2016-17 में रिक्त हुए पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से शीघ्र लिपिक से निजी सहायक (पे लेवल-10 वेतन श्रृंखला 9300-34800 ग्रेड पे-3600 से पे लेवल-11 वेतन श्रृंखला 9300-34800 ग्रेड पे-4200) के रिक्त पद पर पदोन्नति हेतु अनुशंसा किये जाने पर नियमित पदोन्नति की जाती है :-

| क्र.सं. | नाम अधिकारी | वर्ग | रिक्त दिनांक | वि.वि. |
|---------|--------------------|------|--------------|--------|
| 1. | श्री खेमचन्द शर्मा | UR | 01.04.2016 | - |

अभिलेख पूर्ति यथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन/संतान संबंधी सूचना/अचल सम्पत्ति का विवरण के अभाव में निम्न कार्मिकों के अभिलेख पूर्ति तक पदोन्नति डेफर रखी जाती है :-

| क्र.सं. | नाम | वर्ग | पदोन्नति वर्ष/ दिनांक | विशेष विवरण |
|---------|-----------------------|------|--------------------------|--|
| 1. | श्री उत्तम चन्द शर्मा | UR | 2016-17 | वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 तथा 2015-16 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अपूर्ण होने कारण पदोन्नति डेफर |

पदोन्नत कार्मिक वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इनको पदोन्नति का वास्तविक लाभ कार्यभार ग्रहण दिनांक से देय होगा। पदोन्नत कार्मिक के पदस्थापन आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे।

(हरि मोहन गीना)

निदेशक एवं संयुक्त शारान सचिव

क्रमांक :- एफ 1(7)(11)डीपीसी/सान्याअवि/2022/15540-55 जयपुर, दिनांक :- 23.08.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शारान सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन/ जयपुर।
4. प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)/लेखाकार भुगतान प्रशाखा, मुख्यावास।
5. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....।
6. संस्थापन प्रशाखा (पी.-3), मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) को वेबसाईट पर संधारित किये जाने हेतु।
7. संबंधित कार्मिक श्रीमती/श्री.....।
8. व्यक्तिगत पत्रायली श्रीमती/श्री.....।
9. आदेश पत्रायली।

(उमोद सिंह)

अति० निदेश० (सत० एवं प्रशा०)